

राजस्व लोक अदालत अभियान  
ध्याय आगके द्वार-2018

वादीगण-

1. अणचाई पत्नी स्व.मंगलाराम
2. मोहनराम
3. देवाराम
4. हरिराम
5. कैलाश
6. ओमप्रकाश पुत्रगण मंगलाराम जातियान मेघवाल निवासीगण रोल तहसील जायल जिला नागौर।

वनाम

प्रतिवादीगण-

1. सीपुड़ी
2. कूसूम पुत्रियां मंगलाराम
3. मेघाराम पुत्र मुकनाराम
4. गोरधनराम पुत्र जवाराराम
5. वायली पत्नी जवाराराम
6. मीरा
7. बुली पुत्रिया जवाराराम जातियान मेघवाल निवासीगण रोल तहसील जायल जिला नागौर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-26.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुवरु हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-


1. वादीगण संख्या 1 से 6 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सामलाती हक बंट में मौजा रोल का खेत ख नं 51 रकवा 18.06 बीघा में से 6.02 बीघा मध्य भाग व ख नं 1228/1744 रकवा 6.03 रखा जाकर सहखातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 3 मेघाराम के हक बंट में मौजा रोल का खेत ख नं 51 रकवा 18.06 बीघा में से 6.02 बीघा पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के हक बंट में मौजा रोल का खेत ख नं 51 रकवा 18.06 बीघा में से 6.02 बीघा पश्चिमी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख तारीख यसूल योगो तक x को अदा करे। बसीन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26.06.2018 को जारी किया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)  
बन्ध सदस्य  
राजस्व लोक अदालत  
जायल (नागौर)

(सुरेन्द्र प्रसाद)  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल, जिला नागौर



नोट :- इस खर्च के काम पर कुल खर्चा यह दो फरीबनी को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये

(सुरेन्द्र प्रसाद)  
बन्ध सदस्य  
राजस्व लोक अदालत  
जायल (नागौर)

(सुरेन्द्र प्रसाद)  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल, जिला नागौर